न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प शिव

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन पत्र संख्या 07/2010

प्रार्थी
देवाराम पुत्र बनाराम जाति
जाट निवासी उण्डू
तहसील,शिव

बनाम्

अप्रार्थीगण
1.माना पुत्र ईशरा के कायम मुकाम–
1/1.गेनाराम पुत्र मानाराम कौम मेघवाल साकिन कोसरिया तहसील बायतु
2.तहसीलदार शिव

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14(4)राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन)नियम,1970

उपस्थितिः–1. प्रार्थी एंव अधिवक्ता अनुपस्थित
2. अप्रार्थी संख्या 01/1. उपस्थित,अधिवक्ता अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित।

निर्णय दिनांक 21.6.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी माना पुत्र ईशरा को भूमि आवंटन सलाहकार समिति उण्डू द्वारा ग्राम उण्डू के खसरा नम्बर 19/1 रकबा 75 बीघा भूमि का दिनांक 29.06.1979 को आवंटन किया गया। प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थी माना पुत्र ईशरा नाम का कोई व्यक्ति गांव उण्डू में नही रहता था। अप्रार्थी को ग्राम उण्डू में बेनामी आवंटन किया गया है। अप्रार्थी का आवंटन से आज दिन तक रेकर्ड में कब्जा काश्त नहीं है जो भूमि आवंटन की शर्तो का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी को ग्राम उण्डू में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाए।
2. हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किये। अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री नृसिंह सोलंकी हाजिर आये और दिनांक 19.10.2010 को जवाब पेश कर अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर लगातार कब्जा काश्त एंव रहवासी ढाणी बनी हुई होने, आवंटन की समस्त शर्तो का पालन करना, आवंटन के बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त करने एंव आवंटन सही होना बताते हुए प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना को अस्वीकार करने पर हमने दोनो पक्षों को अपनी अपनी शहादत पेश करने के आदेश दिये। प्रार्थी को शहादत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद शहादत पेश नहीं की गई,फलस्वरूप प्रार्थी की शहादत बन्द की गयी। अप्रार्थी गेनाराम शहादत में उपस्थित हुआ।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट शिव में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी एंव अधिवक्ता बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे। प्रार्थी गेनाराम उपस्थित रहा,अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित रहे।

5. अप्रार्थीगण को सुना। पत्रावली एंव तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 12.07.2010 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी पर यह आरोप लगाया है कि अप्रार्थी माना नाम का कोई व्यक्ति नहीं था और ग्राम उण्डू में दिनांक 29.06.1979 को आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा माना पुत्र ईशरा को बेनामी आवंटन हुआ है। भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है और आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। इस सम्बन्ध में हमने तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट प्राप्त की। प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी माना पुत्र ईशरा को ग्राम उण्डू के खसरा नम्बर 308/19 रकबा 75 बीघा भूमि आवंटन की गई। मौके पर आवंटी माना का कब्जा काश्त व एक झूंफा बना हुआ बताया है। इस प्रार्थना पत्र को साबित करने का भार प्रार्थी पर था। अप्रार्थी को आवंटन वर्ष 1979 में हुंआ है। प्रार्थी को बेनामी आवंटन एंव कब्जा काश्त नहीं होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना था जिससे यह साबित हो सके कि आवंटित भूमि बेनामी है और उस पर आवंटी–अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। मगर प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के साथ आवंटन से ऐसा रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया है। प्रस्तुत खसरा जमाबंदी (खतौनी)सम्वत 2039–2042, 2047–2049, 2064–2057, 2066 में लगातार अप्रार्थी माना पुत्र ईशरा का नाम खातेदार के रूप में चला आ रहा है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2044–2046, 2047–'2050,2050–2053, 2954–2057, 2058–2061में अप्रार्थी की बाजरी, मूंग एंव गवार की काश्त बतायी गयी है। इस प्रकार गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील एंव प्रस्तुत शहादत अनुसार अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर आवंटन से लगातार उसका एंव उसके वारिशान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसकी ताईद अप्रार्थी गेनाराम के बयानो एंव शपथ पत्र भी होती है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अनुसार भी यह क्षेत्र अधिकांश वर्षो में अकालग्रस्त भी रहा है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

यदि किसी वर्ष अकाल की वजह से काश्त नहीं हुई है तो यह नहीं कहा जा सकता कि आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होने, एंव बेनामी आवंटन का आरोप प्रार्थी साबित नहीं करा सका है। प्रार्थी ने ऐसी कोई भी शहादत पेश नहीं की है,जिससे यह सिद्ध हो कि अप्रार्थी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हैं। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में यह नहीं बताया है कि विप्रार्थी ने किस आवंटन शर्त की पालना नहीं की हैं। चूँकि इस प्रकरण में आवंटन को लगभग 37 वर्ष हो चुके है। अब इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् आवंटन को रद्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। निष्कर्षतः प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को साबित कराने में असफल रहा है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वर्ष 1979 में किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु 37 वर्ष बाद पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में कोई दस्तावेजी शहादत पेश नहीं की है। प्रार्थी पक्ष अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने में सर्वथा असफल रहा हैं लिहाजा प्रार्थी का आवदेन पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प शिव में आज दिनांक 21.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर